संख्या : 6073/9–आ–1–1999–120 विविध/98

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास–अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांकः 07 दिसम्बर, 1999

विषय :स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–4055/9–आ–1–1999–120 विविध/98, दिनांक 25–8–99 तथा उसके अनुक्रम में शासनादेश संख्या–4913/9–आ–1–1999–120 विविध/98, दिनांक 16–11–99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी थी कि महायोजना अथवा जोनल प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग विरूद्ध किये गये निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

2. इस सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक दिनांक 11–11–1999 में शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी कि उपरोक्त शासनादेशों के अनुपालन भ–ूप्रयोग में परिर्वतन से सम्बन्धित प्रकरण यदि बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे तो इन प्रकरणों के निस्तारण प्रक्रियात्मक विलम्ब होगा जिसके कारण स्वैच्छिक शमन योजना का समापन सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में प्रक्रियात्मक समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) महायोजना में भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा परिवर्तन पर निर्णय लिया जाता है। इसमें लगने वाले समय की बचत के लिये उचित होगा कि बोर्ड द्वारा एक उप समिति गठित कर दी जाय जो विचार कर बोर्ड की ओर से संस्तुति (अथवा अन्यथा) शासन को उपलब्ध कराये। इसी प्रकार इस समिति को भू–विन्यास में भू–उपयोग परिवर्तन के विषय पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

(ii) भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई हेतु प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

(iii) भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित पुराने प्रकरण, जो स्वैच्छिक शमन योजना के लागू होने से पूर्व निरस्त किए गए हैं, पर स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत विचार करने हेतु भी बोर्ड द्वारा समिति को अधिकृत किया जा सकता है।

3. कृपया स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों का बोर्ड की सहमति से उपरोक्त व्यवस्थानुसार समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या–6073(1)/9–आ–1–1999–120 विविध/98 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव।